रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01102024-257632
CG-DL-E-01102024-257632

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3918] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 1, 2024/अश्विन 9, 1946
No. 3918] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 1, 2024/ASVINA 9, 1946

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

आदेश

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2024

का.आ. 4277(अ).—भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 25 की उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 16 की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार का, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के बाद, यह मत है कि यह जनहित में आवश्यक अथवा हितकर है, अत: एतद्द्वारा, खिलौना (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, नामत :-

1. (1) इस आदेश को खिलौना (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2024 कहा जाएगा।

(2) यह आदेश आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगा।

2. खिलौना (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020 के, पैराग्राफ 3 में, तीसरे परंतुक के बाद, निम्नलिखित परंतुक अंतर्विष्ट किया जाएगा, नामतः

" बशर्ते यह भी कि इस आदेश की कोई भी बात ऐसे विनिर्माताओं द्वारा, जो उक्त ब्यूरो द्वारा प्रमाणित हैं या जिन्होनें ब्यूरो के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया है, खिलौनों तथा संबंधित घटकों पर अनुसंधान व विकास के प्रयोजन से प्रति

वर्ष 300 की संख्या तक (प्रत्येक प्रकार के नमूनों की अधिकतम संख्या 5) सामान तथा वस्तुओं के आयात पर लागू नहीं होगी, इस शर्त के अध्यधीन कि ऐसे आयातित सामानों और वस्तुओं की वाणिज्यिक बिक्री नहीं की जाएगी और उन्हें स्क्रैप के रूप में निपटाया जाएगा और ऐसे विनिर्माता ऐसे सामानों या वस्तुओं का वर्षवार रिकार्ड रखेंगे और उसे इस आशय की घोषणा के साथ केन्द्र सरकार के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) को प्रस्तुत करेंगे।"

[फा. सं. 11(4)/2017-सीआई]

संजीव, संयुक्त सचिव

नोट:-मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (ii) में संख्या सां.आ 853 (अ), दिनांक 25 फरवरी, 2020 द्वारा प्रकाशित किया गया था और बाद में अधिसूचना संख्या सां.आ 3146 (अ), दिनांक 15 सितंबर, 2020 और सां.आ 4514 (अ), दिनांक 11 दिसंबर, 2020 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

ORDER

New Delhi, the 30th September, 2024

S.O. 4277(E).— In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 16 read with sub-section (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary and expedient so to do in the public interest, hereby makes the following Order further to amend the Toys (Quality Control) Order, 2020, namely:-

1. (1) This Order may be called the Toys (Quality Control) Amendment Order, 2024.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Toys (Quality Control) Order, 2020, in paragraph 3, after the third proviso, the following proviso shall be inserted, namely: -

"Provided also that nothing in this Order shall apply to import of up to 300 numbers (max 5 nos each type of samples) of goods and articles per financial year for the purpose of research and development for Toys and related parts by each of the manufacturers who are certified by the Bureau or manufacturer who has applied to the Bureau, subject to the condition that such imported goods and articles will not be sold commercially and shall be disposed of as scrap and also such manufacturers shall maintain a year – wise record of such goods or articles and furnish the same to the Central Government with a declaration made to this effect" to the Department for Promotion of Industry & Internal Trade (DPIIT).

[F. No. 11(4)/2017- CI]

SANJIV, Jt. Secy.

Note.-The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii) vide number S.O. 853(E), dated the 25th February, 2020 and subsequently amended vide notifications numbers S.O. 3146 (E), dated the 15th September, 2020 and S.O. 4514 (E), dated the 11th December, 2020.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2024.10.01 21:26:53 +05'30'